न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. नं0 2026/17

सिविल प्रकरण संख्याः– 04/2024 तारीख रजू 10.02.2026

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

.....आवेदक

बनाम

1. अजीत कुमार जैन पुत्र रमेश चन्द जैन (फर्म मालिक) मैसर्स – लवली केटर्स, पुराना खण्डार रोड, शहर, सवाई माधोपुर निवासी 57 मनिहारी मोहल्ला, संगी जी की गली, शहर सवाई माधोपुर

..... अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)/ 51&54 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णयः– दिनांक 25.05.2026

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान शुद्ध के लिए युद्ध अन्तर्गत दिनांक 16.10.2025 को 08.00 ए.एम. पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर के निर्देशन में रेल्वे स्टेशन सवाई माधोपुर के बाहर स्थित सडक पर पहुंच कर देखा कि मैसर्स लवली केटर्स पुराना खण्डार रोड, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर द्वारा मावे की 1 टोकरियां (लगभग 40 किलोग्राम) अपने संस्थान पर परिवहन कर ले जा रहा था आवेदक द्वारा मौके पर उपस्थित व्यक्ति से स्वयं का आधार कार्ड, खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र मांगा जिस पर उन्होंने मैसर्स लवली केटर्स पुराना खण्डार रोड, का खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं स्वयं के आधार कार्ड की छाया प्रति प्रस्तुत की। आवेदक द्वारा मौके पर निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को मावा विक्रय हेतु ले जाया जा रहा था। मावे में मिलावट का अन्देशा होने पर मावे की टोकरी खुलवाकर 01 किलोग्राम वजनी मावा खरीदकर उसकी कीमत 300/– रूपये विक्रेता अजीत कुमार जैन को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता अजीत कुमार जैन के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान गोविन्द प्रसाद जैन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे अजीत कुमार जैन ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं0 5ए की एक प्रति विक्रेता अजीत कुमार जैन को देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने खरीदशुदा 01 किलोग्राम मावा को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा मावे प्रत्येक बोतल में बराबर–बराबर डालकर 20–20 बूंदे फॉर्मेलीन की डालकर बोतलों को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं कमांक **H-3872** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप कमांक **H-3872** नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर छः की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवॅर में लपेटकर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियो को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। आवेदक को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक एफएसएसए/2025/1906 दिनांक 26.11.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/4486/एक्ट/2025/4475 दिनांक 14.11.2025 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ मावा, Sub-standard & The sample is also food containing extraneous Matter (foreign fat) under section 3(1)(i) of Food Safety and Standard Act 2006,** होना पाया गया है।

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

आवेदक को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर ने पत्र कमांक एफएसएसए/2026/61 दिनांक 04.02.2026 के द्वारा उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है।

उक्त प्रकरण में अभियुक्त द्वारा **Sub-standard & Extraneous Matter (foreign fat),** मावा का विकय एवं निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii)का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 54 में जुर्माना योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त स्वयं उपस्थित आए। अभियुक्त ने प्रकरण में जवाब पेश किया एवं प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्त ने **Sub-standard & Extraneous Matter (foreign fat),** मावा का विकय एवं निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त ने बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मेरा मावे का नमूना रेल्वे स्टेशन के बाहर लिया गया था जो मैं आगरा से अच्छी से अच्छी क्वालिटी का मंगाता हूं तथा कभी कभार ही एक टोकरी मावा मंगाता हूं जिससे मैं मेरी छोटी सी दुकान पर बेचने हेतु मिठाईयां बनाता हूं। उक्त मावा मेरे द्वारा नहीं बनाया गया था जैसा मावा आता है आगे से बन कर आता है उसी में मिठाई बनाकर बेचता हूं मेरे मावा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं पाया गया है। स्टेण्डर्ड में कुछ कमियां पाई गई है। अन्त में प्रार्थी द्वारा कम से कम जुर्माने से दण्डित कर प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/4486/एक्ट/2025/4475 दिनांक 14.11.2025 के अनुसार विकेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विकय किया गया **खाद्य पदार्थ मावा, Sub Standard & Extraneous Matter (Foreign fat)** प्रकृति का होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार नमूने में **Milk fat content of the finished product (on dry weight basis) results 21.69%** आया है जोकि **Not less than 27.0%** होना चाहिए था, **Total Solid m/m results 53.09%** आया है जोकि **Minimum 55.0%** होना चाहिए था। इसी प्रकार B.R Reading of extracted fat at 40 0^0 C result 48.2 आया है जोकि 40.0 to 44.0 होना चाहिए था तथा **Reichert value of extracted fat result 5.61** आया है जोकि **Min. 24.0** होना चाहिए था इस प्रकार उक्त जांच यह दर्शाती है कि नमूने का मिल्क फेट आंशिक रूप से foreign fat से प्रतिस्थापित किया गया है। foreign fat का मतलब आमतौर पर उस वसा या

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

तेल से होता है जो खाद्य पदार्थ के प्राकृतिक वसा का हिस्सा नहीं होता बल्कि उसे अलग से मिलाया जाता है। B.R. Reading of extracted fat at 40.0^0 C of extracted fat की रिपोर्ट के अनुसार मिल्क फेट निर्धारित मात्रा से अधिक आने के कारण नमूना **Sub Standard & containing Extraneous Metter** पाया गया है। अभियुक्त द्वारा उक्त नमूना जांच की पुनः रेफरेल जांच भी नहीं करवाई गई है। जिससे प्रतीत होता है कि अभियुक्त मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट से संतुष्ट है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्तगण द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 51 व 54 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त को सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के **खाद्य पदार्थ मावा** का विकय एवं निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 54 के अन्तर्गत अभियुक्त पर 25,000/–रू0 (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) **की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित** करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर